अनुलग्नक-74

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/खण्ड-II दिनांक : 29 मई, 2015

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : **जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डीईएमसी) के साथ अभ्यर्थियों/निर्वाचन एजेंटों की लेखा समाधान बैठक-तत्संबंधी।**

महोदय/महोदया,

निर्वाचन व्यय की कम करके बताई गई राशि एवं जिला व्यय अनुरक्षण समिति (डीईएमसी) के निर्णय के संबंध में आयोग के दिनांक 14 मार्च, 2013 के पत्र सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2013/खण्ड-I के अधिक्रमण में, मुझे इसके साथ अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के लेखे को कम करके बताए जाने के मामलों के निपटान में डीईएमसी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आयोग के संशोधित आदेश को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। (परिवर्तित हिस्से तिरछे अक्षरों में)

2. मुझे, इसके अतिरिक्त, आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया इसे सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, व्यय प्रेक्षकों, संबंधित अधिकारियों, अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों के ध्यान में लाएं।

3. कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,

(एस. के. रुङ्गला)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

फाइल सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/खण्ड-II दिनांक : 29 मई, 2015

आदेश

जबकि, संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के सभी निर्वाचनों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग में निहित है; और

जबकि, ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि अभ्यर्थीगण लोक सभा एवं राज्य विधान सभा निर्वाचनों में अपने निर्वाचन अभियानों में अत्यधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं जिससे समान अवसर दिए जाने के सिद्धांत (लेवल प्लेईंग फील्ड) पर प्रतिकूल असर पड़ता है और अक्सर अपने निर्वाचन खर्चों के दिन-प्रतिदिन के लेखाओं में ठीक-ठीक खर्च नहीं दर्शाते हैं;

अब, इसलिए, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करता है:

(i) यदि *रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी* द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऐसी कोई सूचना मिली है कि किसी अभ्यर्थी ने कतिपय व्यय उपगत या अधिकृत किया है और या तो उसके अंश या सम्पूर्ण हिस्से को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अंतर्गत उसके द्वारा बनाए रखे गए निर्वाचन व्यय के अपने दिन-प्रतिदिन के लेखाओं में नहीं दर्शाया है या उक्त लेख-जोखा को निर्धारित तिथि के दिन अधिकृत अधिकारी या व्यय प्रेक्षक के समक्ष निरीक्षण के लिए नहीं प्रस्तुत किया है तो रिटर्निंग अधिकारी अधिमानत: सूचना मिलने या लेखाओं के निरीक्षण की तिथि के 24 घंटों के भीतर उसके साक्ष्य के प्रमाण के सहित यथास्थिति, उन खर्चों के विवरणों, जो दिन-प्रति-दिन के लेखा में सही या ठीक रूप में नहीं दर्शाए गए हों, का उल्लेख करते हुए या उन्हें यह सूचित करते हुए नोटिस जारी करेंगे कि वे अपना लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहे। हालांकि, संदिग्ध पेड न्यूज मदों के जिन मामलों में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) की सिफारिश के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं या जारी किए जा रहे हैं उन मदों को इस नोटिस में कवर नहीं किया जाएगा।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी उनके ध्यान में लाए गए चूक या व्यतिक्रम के कारणों को स्पष्ट करते हुए नोटिस का 48 घंटों के भीतर उत्तर दे सकते हैं। जिन मामलों में अभ्यर्थी नोटिस में उल्लिखित छिपाए हुए खर्च के तथ्यों को स्वीकार कर लेता है उनमें वह खर्च उनके निर्वाचन खर्चों में जोड़ा जाएगा।

(iii) जिन मामलों में अभ्यर्थी अपना दिन-प्रतिदिन का लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने में विफल हो जाता है और नोटिस दिए जाने के बावजूद यह विफलता बनी रहती है तो ऐसे नोटिस के तामील किए जाने के 48 घंटों के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 171(1) के अंतर्गत एफआईआर दायर किया जाना होता है और निर्वाचन अभियान के लिए अभ्यर्थी द्वारा वाहनों आदि के इस्तेमाल के लिए अनुमति वापस ले ली जाएगी।

(iv) जिस मामले में अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा नोटिस मिलने के 48 घंटों के भीतर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी ने नोटिस में उल्लिखित छिपाई गई धनराशि की बात मान ली है और उसे ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्च में जोड़ा जाएगा।

(v) यदि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट नोटिस में उल्लिखित छिपाए गए व्यय का खंडन करते हैं तो वे असहमति के कारणों का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रस्तुत करेंगे और उसे निम्नलिखित सदस्यों से बनी जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डीईएमसी) को अग्रेषित करना होगा:

1. निर्वाचन-क्षेत्र के प्रभारी व्यय प्रेक्षक
2. जिला निर्वाचन अधिकारी
3. जिले के व्यय अनुवीक्षण के उप जिला निर्वाचन प्रभारी अधिकारी

(vi) डीईएमसी नोटिस और तत्संबंधी अभ्यर्थी के उत्तर में उल्लिखित साक्ष्य की जांच करने के उपरांत मामले पर, अधिमानत: अभ्यर्थी से उत्तर मिलने की तिथि के 72 घंटों के भीतर, इस बात का निर्णय लेगी कि ऐसा छिपाया हुआ व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्च खाते में जोड़ा जाएगा या नहीं।

(vi) **प्रशिक्षण :**

(क) जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन व्यय के लेखे को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के पहले एक सप्ताह के अंदर सभी अभ्यर्थियों/निर्वाचन एजेंटों एवं लेखे प्राप्त करने के लिए लगाए गए कार्मिकों के लिए एक दिवसीय फैसिलिटेशन कार्यक्रम का आयोजन करेगा।

(ख) व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी एवं सहायक व्यय प्रेक्षक को लेखे की ई-फाईलिंग की प्रक्रिया, दाखिल किए जाने वाले फार्म एवं शपथ-पत्र एवं अक्सर सामने आने वाली त्रुटियों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। दाखिल न करने या अपूर्ण फार्म दाखिल करने या निर्धारित तरीके में दाखिल न करने या सही लेखे न दर्शाने के परिणामों के बारे में भी अभ्यर्थियों/एजेंटों को बताया जाएगा।

(ग) *इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में, उन्हें लेखा समाधान बैठक के बारे में भी बताया जाएगा जिसमें उन्हें सभी अंतिम लेखाओं और रजिस्टरों के साथ तैयार होकर आना चाहिए।*

(घ) जिला निर्वाचन अधिकारी परिणाम की घोषणा की तारीख को या तक अंतिम लेखा दर्ज करने की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण की तारीख एवं स्थान के बारे में तथा लेखा समाधान बैठक के बारे में भी अवश्य अधिसूचना निकालेंगे।

(viii) **लेखा समाधान बैठक:**

(क) परिणाम की घोषणा के 26वें दिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संचालित की जाने वाली *लेखा समाधान बैठक में,* अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय की कम करके बताई गई धनराशि, यदि कोई हो, के समाधान के लिए एक और मौका दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अभ्यर्थियों को इस बैठक के बारे में परिणाम की घोषणा के दिन को या तक लिखित में सूचित किया जाए ताकि वे/उनके निर्वाचन एजेंट निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एकत्रित सबूतों तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी नोटिसों के साथ अपने निर्वाचन व्यय के लेखाओं में निर्वाचन व्यय की विवादित मदों का लेखा-समाधान कर सकें।

(ख) लेखाओं की संवीक्षा करने के बाद डीईएमसी उन मामलों में विस्तृत कारण देते हुए आदेश पारित करेगी जिनमें अंतरों का कोई लेखा-समाधान नहीं हो सका और उसकी उसी दिन अभ्यर्थी/एजेंट को तामील करेगी। यदि अभ्यर्थी डीईएमसी के आदेश से सहमत है तो वह उसे अपनी अंतिम लेखाओं में समाविष्ट करेगा। यदि अभ्यर्थी डीईएमसी के आदेश से सहमत नहीं है तो वह अपनी असहमति के कारणों का उल्लेख करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखकर अपना अंतिम लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी ने लेखा-समाधान बैठक से पूर्व अपना लेखा पहले ही दाखिल कर दिया है तो वह डीईएमसी के निष्कर्षों को समाविष्ट करने के लिए निर्वाचन की समाप्ति के 30 दिनों की सांविधिक अवधि के अंदर लेखाओं में संशोधन कर सकता है/सकती है।

(ix) यदि अभ्यर्थी परिणाम की घोषणा के दिन से 30 दिनों की विनिर्धारित अवधि के अंदर बिना किसी विधिमान्य कारणों के निर्वाचन व्ययों के अपने विवरणों को दाखिल नहीं करता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्रेरणा से अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगेगे और अभ्यर्थी के उत्तर एवं अपनी संस्तुति के साथ रिपोर्ट आयोग को भेजेगा।

(x) लेखा समाधान बैठक के बावजूद, यदि अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल लेखाओं में कोई असंगति है तो जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी संस्तुतियों, डीईएमसी आदेश, रजिस्टरों, बिलों एवं वाउचरों की